

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

CIRCULAR

Sub: Railway Week Awards 2025 -- Vishisht Rail Seva Puraskar, 2025 and Rail Seva Puraskar, 2025

Every year during Railway Week, awards are given to shortlisted employees working in Board's Office.

- 2. The entire award eco-system conferred by Ministry of Railways (Railway Board) was revised and two new categories of Awards i.e. Vishisht Rail Seva Puraskar (VRSP) and Rail Seva Puraskar (RSP) were introduced at Railway Board's level. The brief guidelines of the VRSP and RSP Award are as under:-
 - I. These Awards are for Railway Board's officials for their exemplary, outstanding and meritorious work.
- II. The Officials fulfilling the criteria may submit their e-self nomination through HRMS Award Module, duly approved by concerned authority i.e. ED & above Level Officers for these Awards.
- III. Self-Nominations received for these Awards (VRSP &RSP) would be scrutinised and shortlisted by a two members Standing Screening Committee. The members of Standing Screening Committee would be Secretary/RB and AM/Planning.
- IV. The committee would submit its recommendations and shortlisted awardees list by giving Priority Number (three times of quota fixed for each VRSP and RSP) for these awards to CRB &CEO.
- V. The final list of awardees of VRSP and RSP at Board's Office would be notified with the approval of CRB &CEO.
- VI. Chairman & CEO, Railway Board would present the merit certificate to the selected officials of VRSP and RSP during Railway Week Function in Board's Office.
- 3. The criteria for sending self-nominations by Board's Officials for the year 2025 would be as under-
- i. Employee must be on Board's Payroll;
- ii. Employee should have completed 5 years of continuous service in Railways on the date of notification; and
- iii. The official must not have received any award (AVRSP/VRSP/RSP/MR/CRB/GM) during last 10 years. The same may be updated in the given column in

this regard. Any false statement is deemed to invite disciplinary action against the official.

- 3.1 The officials fulfilling the above criteria would be further judged based on their citation and last 5 year APARs and other Parameters as deemed fit by the committee.
- 4. In lines with the above, the self-nominations from the eligible officials upto Sr. Scale level for above awards (VRSP & RSP) are invited through HRMS Award Module. The last date for filling self nominations through portal is 15.02.2025.

No.2025/O&M/12/2

Dated: 14.01.2025

(Neena Kandpal) Under Secretary/O&M Tele No. 011-47845590

Email ID: neenakandpal.rb@gov.in

DG/HR, DG/RPF, DG/RHS, DG/Safety

All AMs/PEDs/EDs (including Independent charge)

Copy to:

CRB & CEO, M/Infra, M/O&BD, M/T&RS & MF Secretary, Railway Board

Copy for information to:

EDPG/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S)

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

परिपत्र

विषय: रेल सप्ताह पुरस्कार-2025, विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार-2025 और रेल सेवा पुरस्कार-2025

प्रत्येक वर्ष रेल सप्ताह के दौरान, बोर्ड कार्यालय में कार्यरत चयनित कार्मिकों को पुरस्कार दिए जाते हैं।

- 2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्पूर्ण पुरस्कारों की व्यवस्था को संशोधित किया गया था और रेलवे बोर्ड स्तर पर पुरस्कारों की दो नई श्रेणियां यथा विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (वि.रे.से.पु.) और रेल सेवा पुरस्कार (रे.से.पु.) आरंभ की गई थी। विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार (वि.रे.से.पु.) और रेल सेवा पुरस्कार (रे.से.पु.) के संक्षिप्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-
 - ये पुरस्कार रेलवे बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके अनुकरणीय, उत्कृष्ट
 और सराहनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं।
 - इन पुरस्कारों के लिए संबंधित प्राधिकारी अर्थात् कार्यपालक निदेशक एवं उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के विधिवत अनुमोदन के पश्चात् मानंदडों को पूरा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने स्व-नामांकन के माध्यम से एचआरएमएस पुरस्कार मॉड्यूल के माध्यम से ऑन-लाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।
 - III दो सदस्यीय स्थायी स्क्रीनिंग समिति द्वारा इन पुरस्कारों (वि.रे.से.पु. एवं रे.से.पु.) के लिए प्राप्त स्व-नामांकन की जांच की जाएगी और उन्हें चयनित किया जाएगा। सचिव/रेलवे बोर्ड और अपर सदस्य/योजना स्थायी स्क्रीनिंग समिति के सदस्य होंगे।
 - IV यह समिति इन पुरस्कारों के लिए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/रेलवे बोर्ड को प्राथमिकता संख्या (वि.रे.से.पु. और रे.से.पु. के लिए निर्धारित कोटा की तीन गुना) देते हुए अपनी सिफारिशें और चयनित पुरस्कार विजेताओं की सूची प्रस्तुत करेगी।
 - V बोर्ड कार्यालय में वि.रे.से.पु. और रे.से.पु. विजेताओं की अंतिम सूची अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से अधिसूचित की जाएगी।
 - VI अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/रेलवे बोर्ड द्वारा बोर्ड कार्यालय में रेल सप्ताह समारोह के दौरान वि.रे.से.पु. और रे.से.पु. के लिए चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों को योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाएंगे।

- 3. बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2025 के लिए भेजे जाने वाले स्व-नामांकन हेतु मानदंड निम्नानुसार होंगे:
 - i. कार्मिक बोर्ड कार्यालय के वेतनपत्रक पर होना चाहिए;
 - ii. कार्मिक ने अधिसूचना की तारीख तक रेलवे में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो; और
 - iii. अधिकारियों/कर्मचारियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी पुरस्कार (अ.वि.रे.से.पु/वि.रे.से.पु/रे.से.पु/रेल मंत्री/अध्यक्ष रेलवे बोर्ड/महाप्रबंधक) प्राप्त न किया हो। इस संबंध में दिए गए कॉलम में यह सूचना अपडेट की जाए। कोई भी गलत विवरण देने पर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 3.1 उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को उनकें प्रशंसात्मक उल्लेख (साइटेशन) और पिछले 5 वर्ष की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रपट (एपीएआर) तथा अन्य मापदंडों के आधार पर, जैसा उचित समझा जाए, समिति द्वारा आंका जाएगा।
- 4. उपरोक्त के अनुरूप, ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों (वि.रे.से.पु. और रे.से.पु.) के लिए विरष्ठ वेतनमान तक के पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों से स्व-नामांकन एचआरएमएस पुरस्कार मॉड्यूल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। पोर्टल के माध्यम से स्व-नामांकन भरने की अंतिम तिथि 15.02.2025 है।

सं. 2025/ओएंडएम/12/2 दिनांक:- 14.01.2025 (नीना कांडपाल) अवर सचिव/ओएंडएम दुरभाष नं. 011-47845590

ईमेल-आईडी: neenakandpal.rb@gov.in

महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/रे.सु.ब., महानिदेशक/रे.स्वा.से., महानिदेशक/संरक्षा सभी अपर सदस्य/प्रधान कार्यपालक निदेशक/कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र प्रभार सहित)

प्रतिलिपि:-

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/रेलवे बोर्ड, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक एवं सदस्य वित्त, सिच्व/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि सूचनार्थः

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (आर), संयुक्त निदेशक जन शिकायत/रेल राज्यमंत्री (एस)